

क्रमांक 3322851/भाग-2/10 / 3225  
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/12/2016

कार्यालयीन आदेश

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित प्रतीक्षा सूची से उपयंत्री (वि./यां.) के पद पर वेतनमान (वेतन बैंड-2) 9300-34800 + ग्रेड पे 3200 पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन स्थानापन्न रूप से नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

क्र.	रोल नंबर एवं जाति श्रेणी	नाम, पिता का नाम, पता, जन्म तिथि,	कार्यालय का नाम जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1	20202136	सुश्री सुकृति तेकाम, आत्मज श्री आत्मज श्री जसवंत लाल तेकाम, वार्ड क्र. 6, सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे, डिण्डोरी	मुख्य अभियन्ता, वि./यां, जल संसाधन विभाग, भोपाल।

शासकीय सेवा में नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

- उपरोक्त नियुक्त अभ्यर्थी की वरिष्ठता प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा चयनित वरिष्ठता के अनुसार रहेगी।
- अभ्यर्थी आदेश प्रसारित होने के एक माह अवधि के अंदर पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ऐसा न होने पर यह आदेश स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
- मध्यप्रदेश शासकीय सेवा अस्थई/अर्द्धस्थई सेवा नियम 1960 में निहित नियम के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित अभ्यर्थी द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जावेगा उसे समय-समय पर प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षाएँ उत्तीर्ण करना होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने की दशा में उसकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम आदि व्यय भी शामिल होंगे, की वापसी के लिये वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे।
- उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौतिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 के अध्यायीन होंगे। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्यायीन रहेंगे।
- यदि शपथ पत्र में दी गई जानकारी पुलिस चरित्र सत्यापन में असत्य पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।



7. जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र जाँच करने पर यदि असत्य पाये जाते हैं तो यह आदेश निरस्त माना जायेगा ।

8. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसमचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमक 21 सन् 1994) का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है ।

  
16/12/16

(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल

16/12/16

भोपाल, दिनांक 16/12/2016

पृ.क्रमांक 3322851/भाग-2/10/3226

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर उनके आदेश क्रमांक एफ-3/ए-16/2014/पी-1/इकतीस दिनांक 05.08.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
3. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4. नियंत्रक, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, जेल रोड़, अरेश हिल्स, भोपाल ।
6. मुख्य अभियंता, वि./यां., जल संसाधन विभाग, अमर कंटक भवन, ज़ोन-1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल - 11 की ओर आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री, (वि./यां.), जल संसाधन विभाग, .....
8. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
9. निज सहायक, प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
10. वेब मैनेजर कार्यालय परियोजन संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें जल संसाधन विभाग, लिंक रोड़ नं. 3, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु ।
11. अधीक्षक कक्ष 331/332 की ओर सूचनार्थ
12. संबंधित सुश्री सुकृति तेकाम, आत्मज श्री आत्मज श्री जसवंत लाल तेकाम, वार्ड क्र. 6, सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे, डिण्डोरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । विस्तृत पदस्थापना आदेश पृथक से प्रसारित किया जा रहा है । कृपया विभागीय वेबसाईट <http://www.mpwr.gov.in> से पदस्थापना आदेश प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में नवीन पदस्थापना कार्यालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें

  
16/12/16

(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल

16/12/16